01.6.26	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई अध्ययन की उप.। प्रार्थीगण, पत्र प्रार्थना निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से शामिल किया गया। नियमानुसार से दर्ज हो आदेश सुनाया गया उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2025/192

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारीः भरत जयप्रकाश मीणा आई. ए. एस.

प्रकरण सं0 70/2025 **दायर दिनांकः— 28—03—2025**

GCMS:- 2025/192

सीता देवी पत्नी श्री जंगीरसिंह जाति बावरी साकेन चक 9 टी के तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज0 ——— प्रार्थी

बनाम

1—जगसीर सिंह पुत्र श्री दयालसिंह जाति बावरी साकिन चक 6 पी एस डी तहसील घड़साना जिला श्री गंगानगर राज0

2—मक्खन सिंह
3—राजू देवी
4— लक्ष्मी बाई
} पिसरान श्री दयाल सिंह अकवाम बावरी साकिनान चक 6 पी एस डी तहसील घड़साना जिला श्री गंगानगर राज0

5—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

6— श्रीमान उप पांजियक महोदय सूरतगढ ।

——— अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिकारी 1955

उपस्थित :—

1— श्री आनन्द स्वामी अभिभाषक प्रार्थी।

2— श्री राजवीर भादू अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1

3— श्री कमलदत्त शर्मा अप्रार्थी स0 2 ता 4

—:— निर्णय —:— दिनांकः— 01.06.2026

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषकगण प्रार्थीया , अप्रार्थी नं0 1 ता 4 उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के नाना इन्द्रसिंह पुत्र श्री गुरमुखसिंह के नाम से भूमि वाके चक 7 एस जी आर के खाता सं0 40 नया , 34 पुराना के प0न0 16/302 मु0न0 5 के किला न0 1, 2, 9 ता 11, 20, 21/1.771 है0 नहरी खातेदारी व प0न0 17/302 मु0न0 14 के किला नं0 5, 6 ,15 ता 17, 24, 25/2.024 है0 नहरी कुल 3.795 है0 नहरी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके थी । उनकी मृत्यु उपरानत प्रार्थी की माता रूपा को छिपाकर दयाल सिंह , जीतो बाई व रज्जो देवी का वारिस प्रमाणा—पत्र दर्शाते हुए बहिस्सा बराबर 1/3—1/3 हिस्सा भूमि विरास्तन इंतकाल दर्ज करवा ली जो कि राजस्व रिकार्ड में 2064 ता 66 के खाता न0 8 से साबित है । जबकि प्रार्थीया की माता का 1/4 हिसा बनता था। उक्त तमाम कृत्य अप्रार्थी न0 1 जगसीरसिंह द्वारा गलत कागजात बनावा कर असत्य शपथ—पत्र प्रस्तुत कर भूमि को हड़प करने की नियत से प्रार्थीया की माता का 1/4 हिस्सा जब्त कर लिया । प्रार्थीया के नाना की मृत्यु उपरान्त जायज 4 सदस्य थे जिसमें से रूपो (मृतक) , दयालसिंह (मृतक) , जीतो बाई (मृतक) , व रज्जो देवी (जीवित) है । उक्त भूमि में इन्द्रसिंह के चार जायज वारिसान होने के कारण रज्जो द्वारा मिली भगती कर 1/3—1/3 हिस्सो में अपने नाम से दर्ज करवा ली है। जबकि 4 जायज वारिसानो का 1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। प्रार्थीया की माता का देहान्त पूर्व में ही हो चुका था व प्रार्थीया की शादि जंगीर सिंह निवासी चक 9 जी के तहसील रायसिंहनगर के साथ हुई व अपने बच्चो के साथ रहती है। प्रार्थीया को बिना बताये व बिना बुलाये अप्रार्थी न0 1 ने कुटरचित द्वारा तमाम कार्यवाही अवैधानिक रूप से कर भूमि अत्याधिक हिस्सा प्राप्त करने का षड़यत्र किया। प्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

अपनी माता की एक ही संतान है। जिसका अपने नाना की भूमि में हक व हिस्सा है। प्रार्थीया ने दिनांक 18—03—2025 को मुकाम चक 7 एस जी आर बी में आई व अप्रार्थीगण से भूमि अपने नाम अंकन करवाने हक व हिस्सा देने के लिए कहा तो वे कहने लगे हम कोई हक व हिस्सा नही देते व स्पष्ट इंकार हो गये और कहने लगे कि हम सारी भूमि को बेच देगें। तुम्हे 1—00बीघा भी नही देगें अगर अप्रार्थीगण जैरवाद रकबा आगे रहन बेचान कर दिया तो प्रार्थीया को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी भरवाई रूपयों पैसों से होनी बड़ी मुश्किल होगी। इसलिये प्रार्थीया , अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि जैरवाद रकबा चक 7 एस जी आर के खाता सं0 40 नया , 34 पुराना के प0 न0 16/302 मु0 न0 5 के किला न0 1,2,9 ता 11, 20,21/1.771 है0 नहरी खातेदारी व प0 न0 17/302 मु0 न0 14 के किला न0 5, 6 ,15 ता 17, 24, 25/2.024 है0 नहरी कुल 3.795 है0 नहरी खातेदारी भूमि को रहन बेचान ना करे व अन्य तरीके से मुंतकिल ना करने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड समन से तलब किया गया। अप्रार्थी नं0 1 जरिये अभिभाषक राजवीर भादू एव अप्रार्थी स0 2 ता 4 की तरफ से कमलदत्त शर्मा हाजिर हुए तथा अप्रार्थी न0 1 ने जबाब प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया। तथा अप्रार्थी न0 2 ता 4 को बार बार मौका देने पर जबाब प्रस्तुत नही करने पर जबाब दिनांक 18—02—2026 को जबाब बन्द कर दिया गया ।

अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । जिसमें प्रार्थीया के अभिभाषक ने प्रार्थना—पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीया के नाना इन्द्रसिंह पुत्र श्री गुरमुखसिंह के नाम से भूमि वाके चक 7 एस जी आर के खाता सं0 40 नया , 34 पुराना के प0न0 16/302 मु0न0 5 के किला न0 1, 2, 9 ता 11, 20, 21/1.771 है0 नहरी खातेदारी व प0न0 17/302 मु0न0 14 के किला नं0 5, 6 ,15 ता 17, 24, 25/2.024 है0 नहरी कुल 3.795 है0 नहरी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके थी । उनकी मृत्यु उपरानत प्रार्थी की माता रूपा को छिपाकर दयाल सिंह , जीतो बाई व रज्जो देवी का वारिस प्रमाणा—पत्र दर्शाते हुए बहिस्सा बराबर 1/3—1/3 हिस्सा भूमि विरास्तन इंतकाल दर्ज करवा ली जो कि राजस्व रिकार्ड में 2064 ता 66 के खाता न0 8 से साबित है । जबकि प्रार्थीया की माता का 1/4 हिसा बनता था। उक्त तमाम कृत्य अप्रार्थी न0 1 जगसीरसिंह द्वारा गलत कागजात बनावा कर असत्य शपथ—पत्र प्रस्तुत कर भूमि को हड़प करने की नियत से प्रार्थीया की माता का 1/4 हिस्सा जब्त कर लिया । प्रार्थीया के नाना की मृत्यु उपरान्त जायज 4 सदस्य थे जिसमें से रूपो (मृतक) , दयालसिंह (मृतक) , जीतो बाई (मृतक) , व रज्जो देवी (जीवित) है । उक्त भूमि में इन्द्रसिंह के चार जायज वारिसान होने के कारण रज्जो द्वारा मिली भगती कर 1/3—1/3 हिस्सो में अपने नाम से दर्ज करवा ली है। जबकि 4 जायज वारिसानो का 1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। प्रार्थीया की माता का देहान्त पूर्व में ही हो चुका था व प्रार्थीया की शादि जंगीर सिंह निवासी चक 9 जी के तहसील रायसिंहनगर के साथ हुई व अपने बच्चो के साथ रहती है। प्रार्थीया को बिना बताये व बिना बुलाये अप्रार्थी न0 1 ने कुटरचित द्वारा तमाम कार्यवाही अवैधानिक रूप से कर भूमि अत्याधिक हिस्सा प्राप्त करने का षड़यत्र किया। प्रार्थीया अपनी माता की एक ही संतान है। जिसका अपने नाना की भूमि में हक व हिस्सा है। प्रार्थीया ने दिनांक 18—03—2025 को मुकाम चक 7 एस जी आर बी में आई व अप्रार्थीगण से भूमि अपने नाम अंकन करवाने हक व हिस्सा देने के लिए कहा तो वे कहने लगे हम कोई हक व हिस्सा नही देते व स्पष्ट इंकार हो गये और कहने लगे कि हम सारी भूमि को बेच देगें। तुम्हे 1—00बीघा भी नही देगें अगर अप्रार्थीगण जैरवाद रकबा आगे रहन बेचान कर दिया तो प्रार्थीया को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी भरवाई रूपयों पैसों से होनी बड़ी मुश्किल होगी। इसलिये प्रार्थीया , अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आशय की अस्थायी

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि जैरवाद रकबा चक 7 एस जी आर के खाता सं0 40 नया , 34 पुराना के प0 न0 16/302 मु0 न0 5 के किला न0 1,2,9 ता 11, 20,21/1.771 है0 नहरी खातेदारी व प0 न0 17/302 मु0 न0 14 के किला न0 5, 6 ,15 ता 17, 24, 25/2.024 है0 नहरी कुल 3.795 है0 नहरी खातेदारी भूमि को रहन बेचान ना करे व अन्य तरीके से मुंतकिल ना करने के आदेश फरमाये जावे। तथा अपने तथ्यों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2025 INSC 566 अमरूदीप अंसारी बनाम अफजल अली वगैरह व जसवन्तसिंह वगैरह बनाम राजस्थान रेवन्यू बोर्ड अजमेर , भंवरसिंह बनाम भंगवानसिंह वगैरह , आदेश 9 नियम 4 सी पी सी की चित्रप्रतिलिपी प्रस्तुत किये ।

अप्रार्थी न0 1 के अभिभाषक ने जबाव प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी न0 1 के दादा इन्द्रसिंह पुत्र गुरमुखराम के नाम से भूमि वाके चक 7 एस जी आर बी खाता सं0 40/34 के प0न0 16/302 मु0न0 15 तथा प0न0 17/302 मु0न0 14 में कुल 3.795 है0 नहरी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी । जो उनको देहान्त के पश्चात अप्रार्थी न0 1 के दादा इन्द्रसिंह पुत्र गुरमुखराम वारिसो दयालसिंह , जितो , रज्जो के नाम विरास्तन दर्ज हो गई । प्रार्थीया की माता रूपो इन्द्रसिंह की वारिस नही है। प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र एवं प्रार्थना-पत्र में ऐसा कोई भी दस्तावैज प्रस्तुत नही किया गया जिसमें इन्द्रसिंह की वारिस प्रार्थीया की माता रूपो है । इनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो में इन्द्रसिंह पुत्र गुरमुखराम , किशनकौर पत्नी इन्द्रसिंह का मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा इन्द्रसिंह का वारिस प्रमाण-पत्र जिसमें तीन ही वारिस है । इसके अलावा रज्जो व जितो के पंजीयन दस्तावैज प्रस्तुत किये गये । तथा प्रार्थीया के द्वारा अपनी माता रूपो पत्नी चननसिंह का मृत्यु दिनांक 23-03-1969 तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र. दिनांक 05-05-2011 प्रस्तुत किया गया है । तथा वारिस प्रमाण-पत्र रूपो तथा वोट लिस्ट हिन्दूमलकोट 1958 रूपो पत्नी चानन प्रस्तुत किये गये है । उक्त जैरवाद रकबा में प्रार्थीया का किसी प्रकार से कोई हक/ हिस्सा निहित नही है । षड़यत्रपूर्वक अप्रार्थी न0 1 के दादा इन्द्रसिंह पुत्र श्री गुरमुखराम की प्रार्थीया अपने आप को नाती बता रही है। तथा अपनी माता रूपों को इन्द्रसिंह की पुत्री बताया जा रहा है जो पूर्णतया ही दस्तावैजो से सिद्ध होता है कि मिथ्या कथन है । आज तक प्रार्थीया की माता रूपो के देहान्त दिनांक 23-03-1969 लगभग 50 वर्षो तक कोई भी चाराजोरी नही करना तथा प्रार्थीया की माता रूपो इन्द्रसिंह की वारिस है तो आज तक माननीय व्यवहार न्यायालय (सिविल न्यायालय) से घोषणा क्यो नही करवाई गई । बिना किसी विधिक दस्तावेज के किसी को भी कोई अधिकार राजस्व न्यायालय में नही दिया जा सकता है तथा प्रार्थीया ने मिथ्या तथा षड़यंत्रपूर्वक कृत्यों के लिए श्रीमान न्यायालय सख्त कार्यवाही की जावे ताकि भविष्य में कोई ऐसा करने की कौशिश न करे । तथा इससे पूर्व भी प्रार्थीया द्वारा श्रीमान न्यायालय में वाद-पत्र सं0 72/2019 सीतो बनाम जगसीर सिंह वगैरा तथा स्थगन प्रार्थना-पत्र सं0 77/2019 प्रस्तुत किया गया जो श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 11-10-2022 को निरस्त किया जा चुका है । इन तथ्यों को प्रार्थीया ने जानबुझ कर छिपाया है। अब अप्रार्थी न0 1 रिकार्डड खातेदार के विरूद्ध एक पक्षीय स्थगन आदेश जारी किया गया वो विधि सम्मत नही है तथा प्रार्थीया के द्वारा उक्त वाद-पत्र व प्रार्थना-पत्र में दर्ज तथ्यों में स्वीकार किया गया है कि कब्जा कास्त अप्रार्थी न0 1 का चला आ रहा है । प्रार्थीया के पास इंच मात्र भी कब्जा कास्त नही है । अप्रार्थी नं0 1 खातेदार काश्तकार अपने अधिकारो का उपभोग करने हेतु विधिक रूप से स्वतन्त्र है तथा प्रार्थीया का किसी प्रकार से कोई नुकसान नही होता है परन्तू प्रार्थीया द्वारा मिथ्या कथनो के आधार पर एक तरफा स्थगन आदेश से अप्रार्थी न0 1 को ना पुरा होने

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

वाला नुकसान किया जा रहा है तथा सुविधा का संतुलन अप्रार्थी न0 1 के पक्ष में है । इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र तथा एक तरफा स्थगन आदेश निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया तथा न्यायिक दृष्टात 2020 RBJ (27) 62 , 2018 RBJ (25) 499 , 2018 RRT(2) 1275, 2013 RRT(1) 123 प्रस्तुत किये गये ।

बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावैजो का गहनता से पठन व मनन किया गया। इन्द्रसिंह पुत्र गुरमुखराम के नाम से भूमि वाके चक 7 एस जी आर बी खाता सं0 40/34 के प0न0 16/302 मु0न0 15 तथा प0न0 17/302 मु0न0 14 में कुल 3.795 है0 नहरी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड था । जिस पर दोनो पक्षो का कोई विवाद नही है। प्रार्थीया के द्वारा अपनी माता रूपा को इन्द्रसिंह की पुत्री होना बताया गया है । तथा उक्त जैरवाद रकबा का विरास्तन इन्तकाल दयालसिंह , रज्जो व जितो के नाम दर्ज होने के पश्चात दयालसिंह व जितो के देहान्त के पश्चात उनके वारिसो के नाम इन्तकाल दर्ज किया गया । तथा उक्त रकबा में जितो व रज्जो के द्वारा पंजीयन दस्तावैजो के द्वारा अपने हक व हिस्सा का हस्तान्तरण अप्रार्थी न0 1 के पक्ष में किया जा चुका है । प्रार्थीया के द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में माता का देहान्त दिनांक 23–03–1969 का मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है । इसके अलावा रूपो इन्द्रसिंह की पुत्री है ऐसा कोई भी दस्तावैज पत्रावली पर उपलब्ध नही है । और न ही लगभग 50 वर्षो तक प्रार्थीया सितो के द्वारा किसी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नही की गई । तथा इससे पूर्व भी प्रार्थीया के द्वारा एक वाद–पत्र 72/2019 प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 11–10–2022 को निरस्त हो चुका है । इन तथ्यों को छिपाया गया । तथा प्रार्थीया के द्वारा प्रार्थना–पत्र मे जैरवाद रकबा पर कब्जा स्वयं का न होकर अप्रार्थी न0 1 का होना स्वीकार किया गया है । इंच मात्र भूमि भी प्रार्थीया का कब्जा नही है । और ना ही कब्जा सम्बन्धित कोई दस्तावैज प्रस्तुत किये गये प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2025 INSC 566 अमरूदीप अंसारी बनाम अफजल अली वगैरह व जसवन्तसिंह वगैरह बनाम राजस्थान रेवन्यू बोर्ड अजमेर , भंवरसिंह बनाम भंगवानसिंह वगैरह जो आदेश 9 नियम 4 पर आधारित है जो इस पर चस्पा नही होते । तथा अप्रार्थी न0 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टात 2020 RBJ (27) 62 , 2018 RBJ (25) 499 , 2018 RRT(2) 1275, 2013 RRT(1) 123 के अनुसार रिकोर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता । तथा प्रार्थीया के पास कब्जा नही है फिर उन्हे किसी प्रकार की अपूर्णिय क्षति नही होती है । तथा इन तमाम तथ्यो को मध्य नजर रखते हुये रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध जारी किया गया एक तरफा स्थगन आदेश निरस्त किया जाना उचित समझते है।

उक्त विवेचना अनुसार अप्रार्थी नं0 1 के नाम संयुक्त खाता की भूमि वाके चक 7 एस जी आर के खाता सं0 40 नया , 34 पुराना के प0 न0 16/302 मु0 न0 5 के किला न0 1,2,9 ता 11, 20,21/1.771 है0 नहरी खातेदारी व प0 न0 17/302 मु0 न0 14 के किला न0 5, 6 ,15 ता 17, 24, 25/2.024 है0 नहरी कुल 3.795 है0 नहरी खातेदारी भूमि मे 1/4 हिस्सा के विरूद्ध एक तरफा जारी स्थगन आदेश दिनांक 28–03–2025 तथा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी ए निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भरत जयप्रकाश मीणा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)
(राजस्व) सूरतगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ